मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 886

24, जुलाई 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत प्रगति

886. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोलेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत आवास निर्माण लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत बजट में 34.4 प्रतिशत की बड़ी कटौती के क्या कारण हैं;

(ग) पूर्णतया तैयार किए गए और लाभार्थियों को सौंपे गए आवासों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार निधि उपयोग की स्थिति क्या है; और

(ङ) शहरी आवास परियोजनाओं को किफायती और सुस्थिर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) को कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ सभी मौसमों में रहने योग्य आवास उपलब्ध कराना है। वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति को बदले बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए इस योजना की अवधि 31.12.2025 तक बढ़ा दी गई है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में 1 करोड़

अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा किफायती लागत पर आवास बनाने, खरीदने और किराए पर लेने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के बीएलसी, एएचपी और एआरएच घटक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में कार्यान्वित किए जाते हैं। आईएसएस घटक को केंद्रीय नोडल एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाता है।

पीएमएवाई-यू मांग-आधारित दृष्टिकोण अपनाता है और इसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से आवश्यकता का आकलन करते हैं। मांग सर्वेक्षण और लाभार्थियों के चयन के आधार पर, परियोजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं, ताकि केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा केंद्रीय सहायता जारी करने पर आगे विचार किया जा सके।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 7.09 लाख आवासों सहित कुल 119.25 लाख आवासों को स्वीकृति दे दी गई है। इनमें से 112.81 लाख आवासों में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और 14.07.2025 तक देश भर में 93.60 लाख आवास बनकर तैयार हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण और सौंपे गए आवासों की संख्या, आरंभ से अब तक जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता और पिछले 5 वर्षों में उपयोग की गई केंद्रीय सहायता का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

पीएमएवाई-यू के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अनुपालनों के आधार पर आवासों के निर्माण के लिए 40%, 40% और 20% की तीन किस्तों में केंद्रीय सहायता जारी की जाती है। एक वित्तीय वर्ष के लिए बजट आवंटन वर्ष के दौरान योजना के तहत प्रत्याशित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त दावों के अनुसार उपयोग किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राप्त दावों और प्रस्तुत कटौती/रद्दीकरण के प्रस्तावों के आधार पर, बजटीय अनुमान (बीई) और संशोधित अनुमान (आरई) तय किए जाते हैं। मंत्रालय राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ योजना की प्रगति पर नियमित समीक्षा करता है, जिसमें केंद्रीय सहायता को समय पर जारी करना और उसका उपयोग करना, साथ ही विस्तारित योजना अवधि

अर्थात 31.12.2025 तक सभी स्वीकृत आवासों का निर्माण पूरा होना सुनिश्चित करना शामिल है।

आवासों को और अधिक किफायती बनाने के लिए, पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का हिस्सा अनिवार्य है। न्यूनतम राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से के अलावा, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारें सामर्थ्य बढ़ाने के लिए अतिरिक्त टॉप-अप हिस्सा भी प्रदान कर सकती हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/ निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लिए निम्न आय आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) का पुनर्गठन किया है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, एचएफसी आदि से लिए गए आवास ऋण पर गारंटी प्रदान करके पात्र परिवारों की ऋण सुलभता और पात्रता को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य ईडब्ल्यूएस/एलआईजी से संबंधित पीएमएवाई-यू 2.0 के पात्र लाभार्थियों को वित्तीय संस्थानों से किफायती गृह ऋण के माध्यम से समय पर अपने आवासों को पूरा करने में मदद करना है, जिससे कार्यक्रम के उद्देश्यों में सीधे योगदान हो सके। इसके अलावा, अनौपचारिक क्षेत्रों के लाभार्थियों की मदद के लिए बैंकों के साथ वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा विशेष गृह ऋण उत्पाद विकसित किए गए हैं। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से पीएमएवाई-यू 2.0 लाभार्थियों को गृह ऋण की सुविधा प्रदान करे।

पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत, देश में सुस्थिर आवास के लिए नवीन डिज़ाइन और निर्माण पद्धतियों में सहायता प्रदान करने हेतु एक प्रौद्योगिकी एवं नवाचार उप-मिशन (टीआईएसएम) की स्थापना की गई है। टीआईएसएम विभिन्न नियामक और प्रशासनिक निकायों के साथ समन्वय के माध्यम से विभिन्न भू-जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त लेआउट डिज़ाइन और भवन योजनाओं को अपनाने को बढ़ावा देता है ताकि पारंपरिक निर्माण सामग्री पद्धतियों के स्थान पर आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों के उपयोग को मुख्यधारा में लाया जा सके और उनका विस्तार किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएँ संसाधन-कुशल, जलवायु-अनुकूल, आपदा-रोधी, पर्यावरण-अनुकूल और सुस्थिर निर्माण सामग्री, प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के उपयोग को बढ़ावा देती हैं। इस परियोजना में प्रचलित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप हरित भवन मानदंडों को भी अपनाया जाता है, जिसमें गर्मी से आराम प्रदान करने, ऊर्जा उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने हेतु सुस्थिर निर्माण पद्धतियाँ शामिल हैं।

*****

दिनांक 24-07-2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 886 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण और सौंपे गए आवासों के साथ-साथ प्रारंभ से स्वीकृत एवं जारी की गई केंद्रीय सहायता और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शुरू से आवासों का विवरण (संख्या में)				केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)		
							शुरू से		पिछले पांच वर्षों के दौरान उपयोग किया गया
			स्वीकृत	निर्माणाधीन	पूर्ण हो गए आवास	सौंपे गए आवास	स्वीकृत	जारी किया	
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	19,47,297	18,26,698	10,78,686	9,89,302	29,722.30	23,800.26	16,542.76
2		बिहार	4,45,212	2,96,469	1,89,863	1,89,805	6,911.48	4,651.45	2,426.55
3		छत्तीसगढ	2,99,922	2,85,392	2,57,171	2,43,419	4,769.86	4,316.60	2,995.56
4		गोवा	3,146	3,146	3,145	3,145	74.76	75.04	53.85
5		गुजरात	9,93,877	9,72,208	9,41,419	9,02,584	20,943.34	19,766.86	12,712.89
6		हरियाणा	1,30,290	90,636	70,522	70,506	2,400.48	1,723.50	990.42
7		हिमाचल प्रदेश	12,640	12,640	11,381	11,363	214.18	214.66	133.64
8		झारखंड	2,43,421	2,10,640	1,59,751	1,56,291	3,817.28	3,215.57	1,698.65
9		कर्नाटक	5,84,086	5,08,586	3,94,054	3,53,692	9,803.91	7,379.49	4,287.89
10		केरल	1,61,957	1,55,162	1,34,127	1,34,026	2,700.71	2,499.36	1,351.73
11		मध्य प्रदेश	9,66,133	9,45,487	8,68,097	8,55,011	16,005.24	15,555.00	9,745.06
12		महाराष्ट्र	12,49,047	11,49,437	9,93,361	9,18,102	23,815.27	19,636.93	12,635.16
13		ओडिशा	2,15,339	1,85,963	1,64,880	1,59,534	3,356.36	2,611.01	1,531.78
14		पंजाब	1,33,270	1,18,475	97,920	97,618	2,361.36	2,092.15	1,471.66
15		राजस्थान	3,33,815	2,94,639	2,34,698	2,29,363	6,101.06	5,420.34	3,449.15
16		तमिलनाडु	6,70,425	6,69,514	6,07,051	5,58,877	11,036.47	10,426.37	6,426.80
17		तेलंगाना	3,61,755	2,35,023	2,23,627	1,80,755	6,150.73	3,906.96	1,732.46
18		उत्तर प्रदेश	19,75,035	17,59,770	17,02,317	16,68,382	30,935.86	27,933.95	19,587.88
19		उत्तराखंड	63,605	62,793	42,966	39,360	1,164.78	1,057.80	645.86

20		पश्चिम बंगाल	6,15,105	6,05,971	4,65,561	4,64,881	9,965.78	8,907.91	4,516.77
उप-योग (राज्य) : -			**1,14,05,377**	**1,03,88,649**	**86,40,597**	**82,26,016**	**1,92,251.21**	**1,65,191.23**	**1,04,936.53**
21	उत्तर पूर्वी राज्य	अरुणाचल प्रदेश	13,379	8,739	8,068	6,852	295.41	174.66	82.99
22		असम	1,84,991	1,69,101	1,30,425	1,30,425	2,914.93	2,345.51	1,780.78
23		मणिपुर	52,519	49,593	18,397	18,397	788.62	525.63	361.73
24		मेघालय	4,758	4,083	1,995	1,995	72.35	63.23	26.42
25		मिजोरम	39,150	39,101	26,596	26,596	600.98	502.41	357.22
26		नागालैंड	31,067	31,060	29,029	28,997	492.01	418.37	251.86
27		सिक्किम	299	299	219	219	5.88	7.09	3.68
28		त्रिपुरा	90,989	88,416	78,061	78,061	1,466.38	1,342.02	641.62
उप-योग (उत्तर पूर्वी राज्य): -			**4,17,152**	**3,90,392**	**2,92,790**	**2,91,542**	**6,636.56**	**5,378.92**	**3,506.31**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	376	376	80	47	5.84	2.93	2.83
30		चंडीगढ़	1,256	1,256	1,256	1,256	28.78	28.78	15.80
31		दादरा और नगर हवेली एवं दमण और दीव	9,947	9,947	9,450	9,113	214.40	204.56	125.53
32		दिल्ली	29,976	29,976	29,976	29,976	692.53	692.53	257.51
33		जम्मू और कश्मीर	43,856	42,159	32,091	32,091	686.72	523.48	317.25
34		लद्दाख	1,283	991	882	882	29.86	25.23	12.44
35		लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-
36		पुदुचेरी	16,442	16,050	11,377	11,377	264.18	236.69	143.11
उप-योग (यूटी) :-			**1,03,136**	**1,00,755**	**85,112**	**84,742**	**1,922.32**	**1,714.21**	**874.47**
कुल योग :-			**119.26 लाख**	**112.81 लाख***	**93.61 लाख***	**90.92 लाख***	**2.01 लाख करोड़**	**1.72 लाख करोड़**	**1.09 लाख करोड़**

* इस मिशन अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम के पूर्ण (3.41 लाख)/ सौंपे (4.90 लाख) और निर्माणाधीन (4.01 लाख) आवास शामिल हैं।